

डिक्री बमूकदमें इबतदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 142/2023

वादी

1. अर्जुनराम पुत्र डालूराम
2. उमादेवी पत्नी डालूराम
3. गोरधन पुत्र डालूराम
4. देवाराम पुत्र डालूराम
5. नराणी पत्नी खिंयाराम
6. बंशीलाल पुत्र खिंयाराम
7. भुराराम पुत्र कुम्भाराम
8. सांवताराम पुत्र कुम्भाराम जातियान जाट निवासीगण बुरड़ी तहसील डेह जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भुगानी पुत्री डालूराम पत्नी कानाराम जाति जाट निवासी बुरड़ी तहसील डेह जिला नागौर
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -


1. वादी 1 से 8 कि ओर से श्री बस्तीराम ढाका एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री राजेन्द्रसिंह ढाका एडवोकेट

--: डिक्री आदेश ::--



यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह ढाका एडवोकेट की उपस्थिति मे हुकम दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :-

1. वादी अर्जुनराम, उमादेवी, गोरधन एवं देवाराम के सह हक बंट कब्जा काश्त में मैजा बुरड़ी के खसरा नम्बर 12 रकबा 2.0720 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 14 रकबा 1.1655 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 5 रकबा 2.0477 हैक्टेयर पूरा एवं खसरा नम्बर 17 रकबा 8.8221 हैक्टेयर में से रकबा 2.6547 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. वादी नराणी व बंशीलाल के सह हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बुरड़ी का खसरा नम्बर 33 रकबा 2.6547 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 34 रकबा 4.3706 हैक्टेयर में से रकबा 1.0683 हैक्टेयर उत्तरी भाग, तथा मौजा ऐवाद का खसरा नम्बर 58 रकबा 1.6268 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।


सहायक कलक्टर
(पि.टी.ओ.) जायल

